

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<u>न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)</u> श्रीमती गिरिबाला सिंह पत्नी स्व० श्री आर०के० सिंह, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी-एच०आई०जी०-311, बागमुगालिया एक्सटेंशन, भोपाल म०प्र०। ———— आवेदिका/अभियुक्त <u>//विरुद्ध//</u> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा— सी०बी०आई० SC-III नई दिल्ली। ————— अनावेदक/अभियोजन	
25-07-2026	आवेदिका/अभियुक्त द्वारा श्री इनोश जार्ज कारलो अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक/म०प्र० राज्य द्वारा विवेचक डी०एस०पी० श्रीमती निशु कुशवाहा, सी०बी०आई० दिल्ली सहित श्री हरिनाथ प्रसाद लोक अभियोजक उपस्थित। आपत्तिकर्ता द्वारा अधिवक्ता श्री अंकुर पाण्डेय उपस्थित। 1— इस आदेश के द्वारा आवेदिका/अभियुक्त श्रीमती गिरिबाला सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का निराकरण किया जा रहा है। 2— पुलिस थाना कटारा हिल्स, भोपाल के अपराध क्र० 133/2026 से संबंधित सी०बी०आई० द्वारा पुनः पंजीकृत प्रकरण क्र० RC4(S)/2026/CBI/SC-III/ND की केस डायरी प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुई।	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	3— आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक का यह <u>प्रथम</u> नियमित जमानत आवेदन, अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 होना व्यक्त किया गया है। जमानत आवेदन के साथ शपथकर्ता कर्नल रणबीर सिंह भदौरिया पुत्र स्व० मेजर लल्लू सिंह भदौरिया, उम्र लगभग 72 वर्ष, स्थाई निवासी बी-114, गोल्फ व्यू अपार्टमेंट, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ, हाल मुकाम एचआईजी-311, बाग मुगालिया एक्सटेंशन, भोपाल (म०प्र०) का इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्त उसकी बहन है। आवेदिका/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन-पत्र है, जिसके समस्त कथन उसके निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही हैं। 4— आवेदिका/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 संक्षेप एवं साररूप में यह है कि दिनांक 12 मई, 2026 को आवेदिका/अभियुक्त के पुत्र समर्थ सिंह की पत्नी श्रीमती दिवशा शर्मा द्वारा रात्रि 10:20 बजे आवेदिका/अभियुक्त के आवास की छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी मर्ग जांच क्र० 13/2026 थाना कटारा हिल्स भोपाल द्वारा प्रारंभ की गई। पुलिस थाना कटारा हिल्स, भोपाल में दिनांक 15-05-2026 को अपराध क्र० 133/2026 अंतर्गत धारा 80(2), 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 15-05-2026 को आवेदिका/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी, जिसे माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर ने एम०सीआर०सी० क्र० 24405/2026 तथा 24475/26 में पारित आदेश दिनांकित 27-05-2026 के द्वारा निरस्त किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 25-05-2026 को आदेश पारित किया। म०प्र० शासन द्वारा मामले	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	को अन्वेषण हेतु सी०बी०आई० को सौंपा गया। दिनांक 29-05-2026 को आवेदिका/अभियुक्त को दिनांक 02-06-2026 तक सी०बी०आई० की अभिरक्षा में सौंपा गया। दिनांक 02-06-2026 से निरंतर आवेदिका/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में वृद्धि के जो कारण बताये गए हैं, वे अपर्याप्त हैं। अभियोजन ने आवेदिका/अभियुक्त से कोई जप्ती शेष होना व्यक्त नहीं की है। अभियोजन की ओर से न्यायिक अभिरक्षा में वृद्धि के आधार सीएफएसएल दिल्ली की क्राइम सीन रिक्रिएशन की रिपोर्ट अप्राप्त होना, महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन न हो पाना नितांत औपचारिक है। द्वितीय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सी०बी०आई० को प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार आवेदिका/अभियुक्त को और अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाना उचित नहीं है। 5— आवेदन आगे यह है कि मनोचिकित्सक डॉ० सत्यकांत त्रिवेदी और मनोपरामर्शदात्री सुश्री काकोली राय के कथन लिये जा चुके हैं। मृतिका दिवशा शर्मा की सीडीआर, सी०बी०आई० द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। आवेदिका/अभियुक्त ने श्रीमती दिवशा की देखभाल में कोई कसर नहीं की थी। चिकित्सकों के बयान से श्रीमती दिवशा के गर्भवती होने, नारकोटिक ड्रग्स लेने, स्वयं गर्भपात कराने की जिद करने, एमटीपी की गोली खाने के तथ्य अभिलेख पर आ चुके होंगे। अभियोजन द्वारा 2,00,000/- ₹ की मांग कर दिवशा के साथ क्रूरता का आरोप लगाया है, जबकि आवेदिका/अभियुक्त व उसके पुत्र ने श्रीमती दिवशा को अल्पअवधि में 7,50,000/- ₹ की राशि अंतरित की है। मृतिका श्रीमती दिवशा शर्मा के शरीर पर मृत्यु पूर्व संघर्ष के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं, सिर्फ छोटे-छोटे कंट्रूजन मार्क मिले हैं, जो ब्यूटी पार्लर में वैक्सिंग कराते समय अथवा उसे फांसी के फंदे से उतारकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे लाते समय अथवा कार से एम्स भोपाल ले जाते समय कहीं भी आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary								
	आवेदिका/अभियुक्त द्वारा क्रूरता या तंग किए जाने की उपधारणा कायम नहीं की जा सकती। श्रीमती दिवशा शर्मा की मृत्यु, दहेज मृत्यु थी, यह उपधारणा नहीं की जा सकती तथा आवेदिका/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 80 भारतीय न्याय संहिता का अपराध गठित नहीं होता है। आवेदिका/अभियुक्त द्वारा मृतिका श्रीमती दिवशा शर्मा द्वारा आत्महत्या की जानकारी तत्काल उसकी मां को दी गई थी। आवेदिका/अभियुक्त के घर दिनांक 29-06-26 को चोरी हुई है, उसके घर से क्या-क्या चोरी हुआ, यह देखने के लिए पुलिस उसके घर लेकर नहीं गई है। आवेदिका/अभियुक्त की 100 वर्षीय वृद्ध मां अत्यंत बीमार हैं और वे अपनी पुत्री से मिलना चाह रही हैं। मृतिका श्रीमती दिवशा शर्मा की मृत्यु उपरांत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा अनुष्ठान किए जाने हैं, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। आवेदिका/अभियुक्त दिनांक 04-07-26 से 08-07-26 तक डायरिया से ग्रस्त रही, इसके पश्चात् वायरल फीवर हो गया। आवेदिका/अभियुक्त ने 33 वर्ष तक न्यायपालिका में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। मृतिका श्रीमती दिवशा शर्मा के व्हाट्सएप मैसेजों में आवेदिका/अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत संदेश नहीं मिला है। आवेदिका/अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त आधारों पर आवेदिका/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना है। 6— आवेदिका/अभियुक्त द्वारा अपने आवेदन में आपराधिक रिकार्ड प्रस्तुत किया है, जो निम्नानुसार है :- <table><tr><td>क्र0</td><td>अपराध क्र0</td><td>धारा</td><td>पुलिस थाना/जिला</td></tr><tr><td>01</td><td>निल</td><td>निल</td><td>निल</td></tr></table> 7— मृतिका श्रीमती दिवशा शर्मा के पिता श्री नवनिधि शर्मा की आपत्ति संक्षेप में यह है कि मृतिका दिवशा शर्मा का विवाह	क्र0	अपराध क्र0	धारा	पुलिस थाना/जिला	01	निल	निल	निल	
क्र0	अपराध क्र0	धारा	पुलिस थाना/जिला							
01	निल	निल	निल							

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदिका/अभियुक्त के पुत्र समर्थ सिंह से 09.12.2025 को नोएडा में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के तुरंत बाद समर्थ सिंह और उनकी माता आवेदिका/अभियुक्त श्रीमती गिरिबाला सिंह ने पर्याप्त दहेज न लाने के कारण मृतिका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। विवाह की रस्मों के दौरान भी आवेदिका/अभियुक्त ने दहेज की मांग की, जिस पर समर्थ सिंह को 2,00,000/- रुपये दिये गए। मृतिका को ताने दिये जाते थे कि विवाह उनके उच्च मानकों के अनुरूप नहीं है। मृतिका के गर्भवती होने पर समर्थ सिंह और आवेदिका/अभियुक्त ने अजन्मे बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाकर उसे अत्यधिक मानसिक यातना दी। आवेदिका/अभियुक्त द्वारा मृतिका को ताना मारती थी कि 'पता नहीं किसका बच्चा है' एवं समर्थ सिंह कहता था कि यह उसका बच्चा नहीं है। दिनांक 12.05.2026 को रात लगभग 9:41 बजे, मृतिका अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात कर रही थी, तभी समर्थ सिंह उसके पास आया और अचानक फोन कट गया, कई प्रयासों के बावजूद, उसके परिवार वाले उससे संपर्क नहीं कर पाए। उसी रात लगभग 10:35 बजे, आवेदिका/अभियुक्त के फोन से मृतक के परिवार को फोन आया और निर्दयतापूर्वक उन्हें सूचित किया गया "She is no more"। 8— मृतिका के पिता श्री नवनिधि शर्मा की आगे आपत्ति है कि आवेदिका/अभियुक्त ने मृतिका के साथ मानसिक क्रूरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप ससुराल में मृतिका की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है। आवेदिका/अभियुक्त श्रीमती गिरिबाला सिंह भोपाल से सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और वर्तमान में भोपाल जिला उपभोक्ता न्यायालय की अध्यक्ष होकर अत्यंत प्रभावशाली हैं, यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे अपने प्रभाव और पद का दुरुपयोग करके साक्ष्य से	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	छेड़छाड़ करेंगी और अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों को प्रभावित करेंगी। आवेदिका/अभियुक्त का पिछला आचरण न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की स्पष्ट प्रवृत्ति दर्शाता है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.05.2026 के आदेश द्वारा एमसीआरसी/24005/2026 नवनिधि शर्मा बनाम गिरिबाला सिंह और एमसीआरसी/24475/2026 मध्य प्रदेश राज्य बनाम गिरिबाला सिंह में इसी आधार पर आवेदिका/अभियुक्त की अग्रिम जमानत रद्द की थी। आवेदिका/अभियुक्त का प्रभाव इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में भारी गड़बड़ी पाई गई थी। दिनांक 13.05.2026 को सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा द्वारा लिगेचर सामग्री, एक एप्पल आईफोन और लैपटॉप की जब्ती की गई थी, लेकिन न तो इसकी पहचान की गई और न ही इसे सील किया गया, जबकि आरोपी के घर पर की गई अन्य सभी जप्तियां विधिवत सील की गई थीं। साक्ष्य से छेड़छाड़ के संबंध में आवेदिका/अभियुक्त के पूर्व आचरण की भी जांच की जा रही है, क्योंकि आवेदिका/अभियुक्त ने प्रकरण के प्रासंगिक गवाहों जैसे सीसीटीवी कर्मियों, सैलून मालिक, कटारा हिल्स के थाना प्रभारी और कई अन्य लोगों से संपर्क किया था, जिनके नंबर जांच एजेंसी के रिमांड आवेदन के अनुसार जांच के दायरे में हैं। आवेदिका/अभियुक्त से कथित तौर पर जुड़े कई व्यक्ति साक्ष्य एकत्र करने के लिए सैलून में गए थे। 9— श्री नवनिधि शर्मा की आगे आपत्ति है कि एम्स भोपाल द्वारा दी गई प्रारंभिक संक्षिप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों की जांच रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कई पूर्व-मृत्यु चोटें पाई गई थीं। मृतिका की अपने परिवार के साथ हुई Chat से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आवेदिका/अभियुक्त लगातार	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	मृतिका को परेशान कर रही थी। आवेदिका/अभियुक्त का पुत्र सहअभियुक्त लगभग 10 दिनों तक फरार रहा और उसे जबलपुर पुलिस ने 22.05.2026 को गिरफ्तार किया। अतः इस बात की पूरी संभावना है कि यदि आवेदिका/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जांच को प्रभावित कर सकती है। जांच एजेंसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 के तहत इस आधार रिमांड की प्रार्थना की है कि मृतिका के मोबाइल फोन और वित्तीय विवरणों की जांच से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनकी आगे जांच की जानी है तथा घटना के बाद अभियुक्त द्वारा संपर्क किए गए व्यक्तियों का पता लगाकर उनसे पूछताछ की जानी है। अतः आवेदिका/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना है। आपत्ति के समर्थन में श्री नवनिधि शर्मा द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। 10— सीबीआई की ओर से विवेचक पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती निशु कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत जवाब/प्रतिवेदन संक्षेप में यह है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने थाना कटारा हिल्स, भोपाल में दिनांक 15.05.2026 को दर्ज अपराध क्र० 133/26 की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर दिनांक 25-05-2026 को मामले की सुनवाई की। दिनांक 25-05-2026 को सीबीआई में प्रकरण को अपराध क्रमांक RC-4(S)/2026/CBI/SC-III/ND पर पुनः पंजीकृत किया जाकर थाना कटारा हिल्स, भोपाल के अपराध क्र० 133/26 अंतर्गत धारा 80(2), 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3, 4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत आवेदिका/अभियुक्त श्रीमती गिरिबाला सिंह एवं उसके पुत्र समर्थ सिंह के विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई। आवेदिका/अभियुक्त द्वारा जांच में सहयोग न किए	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	जाने पर माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2026 से आवेदिका/अभियुक्त श्रीमती गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी, जिसके बाद दिनांक 28.05.2026 को आवेदिका/अभियुक्त को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के आदेश दिनांक 06.07.26 के अनुपालन में, सीबीआई की टीम ने सीएफएसएल भोपाल के 2 विशेषज्ञों के साथ आवेदिका/अभियुक्त की आवाज नमूना प्राप्त करने के लिए दिनांक 09-07-2026 केंद्रीय जेल गई, लेकिन समय की कमी के कारण आवेदिका/अभियुक्त से सभी आवाज नमूने नहीं लिए जा सके, जिस पर दिनांक 10.07.2026 को पुनः सीबीआई की टीम, सीएफएसएल भोपाल के 2 विशेषज्ञों के साथ पुनः केंद्रीय जेल गई जहां आवेदिका/अभियुक्त ने शेष आवाज नमूना देने से इनकार कर दिया। जिस पर सीबीआई ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदिका/अभियुक्त को उसकी शेष आवाज नमूना देने का निर्देश दिया जाए। न्यायालय के आदेश दिनांक 14-07-2026 के बाद आवेदिका/अभियुक्त ने अपने शेष आवाज नमूने दे दिए हैं। आवेदिका/अभियुक्त न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 11- सी0बी0आई0 का जवाब/प्रतिवेदन आगे यह है कि जांच के दौरान मृतिका के वित्तीय विवरण एकत्र किए गए हैं और जांच में यह तथ्य आया है कि आवेदिका/अभियुक्त एवं उसके पुत्र समर्थ ने मृतक के खाते में कई मौकों पर राशि हस्तांतरित की है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे मृतिका को पैसा दे रहे थे, जबकि उन्होंने मृतिका के खाते के माध्यम से अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकांश धन का उपयोग किया है। अपराध स्थल के पुनर्निर्माण के दौरान अभियुक्तगण ने	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	सीएफएसएल के विशेषज्ञों के साथ सहयोग नहीं किया। अभिलेख में इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है जिससे आवेदिका/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता दर्शित होती है। मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच जारी है। आवेदिका/अभियुक्त एक प्रभावशाली है और इस बात की पूरी संभावना है कि आवेदिका/अभियुक्त साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और प्रकरण के साक्षियों को प्रभावित कर सकती है। अतः आवेदिका/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना है। 12— आवेदिका/अभियुक्त की ओर से उपसंजात विद्वान अभिभाषक के द्वारा तर्क किया गया है कि "Bail is the rule and Jail is an exception" यह सुस्थापित विधि है। आवेदिका/अभियुक्त महिला है, जिसने न्यायपालिका में 35 वर्ष तक सेवा प्रदान की है। उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदिका/अभियुक्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग, भोपाल के पद पर कार्यरत है। उसके पति की पेंशन भी उसे प्राप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा 2,00,000/- रु० की दहेज की मांग किया जाना संभव नहीं है। मृतिका गर्भपात कराना चाहती थी, जबकि आवेदिका/अभियुक्त गर्भपात नहीं कराना चाहती थी। आवेदिका/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। घटना दिनांक को घटना से पूर्व अभियुक्त का मृतिका से कोई सामना नहीं हुआ था। मृतिका रात्रि 10:30 बजे अपनी मां से बात कर रही थी। अपराध में आवेदिका/अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं है। आवेदिका/अभियुक्त महिला है इसलिए उसके कथन घर पर लिये जाने थे। उसके द्वारा अन्वेषण में पूर्ण सहयोग किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आदेश निरस्त करने संबंधी आदेश बंधनकारी नहीं है। आवेदिका/अभियुक्त का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दूसरी बार आवाज नमूना देने से इंकार किया गया था। न्यायालय के	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आदेश पर उसके द्वारा आवाज नमूना दिया गया है। पी0एम0 रिपोर्ट के अनुसार मृतिका के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं हैं। आवेदिका/अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किए जाने की कोई संभावना नहीं है। अतः उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन है। 13— आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किये गये तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत <u>माननीय उच्चतम न्यायालय की क्रिमिनल अपील क्र0 3173/2024 जलालउद्दीन खॉन विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 2024, सतबीर सिंह व अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 2021 एस0सी0 2627, माननीय उच्चतम न्यायालय की क्रिमिनल अपील क्र0 742/2020 अरनब मनोरंजन गोस्वामी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 27 नवम्बर, 2020</u> का अवलम्ब लिया गया है। 14— सी0बी0आई0 की ओर से उपसंजात वरिष्ठ लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार कुशवाहा ने तर्क किया है कि मृतिका भी महिला थी। मामला महिला के प्रति अपराध से संबंधित है, इसलिए अभियुक्त का महिला होना जमानत के लिए कोई आधार नहीं है। अभियुक्त वीडियो लिंकेज के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित है, जो पूर्णतः स्वस्थ है, इसलिए अभियुक्त का स्वास्थ्य खराब होना जमानत का कोई आधार नहीं है। मात्र मानवीय संवेदना जमानत पर छोड़े जाने का कोई आधार नहीं हो सकती है। दिनांक 09-07-2026 को आवेदिका/अभियुक्त ने आवाज नमूना देने से मना किया। न्यायालय के आदेश पर आवाज नमूना दिया गया है। आवेदिका/अभियुक्त की पद, प्रतिष्ठा के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उसके द्वारा दहेज नहीं मांगा जा सकता। आवेदिका/अभियुक्त की मां उसके	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	साथ में नहीं रहती, इसलिए यह भी जमानत पर छोड़े जाने का कोई आधार नहीं है। पूजा-पाठ कराना भी जमानत के लिए कोई उचित आधार नहीं है। आवेदिका/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आरोपित अपराध सामाजिक अपराध है। अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की दशा में साक्ष्य के प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना है। तर्क के दौरान न्यायदृष्टांत <u>बिहार राज्य व अन्य विरुद्ध अमित कुमार उर्फ बच्चा राय (2017) 13 एस0सी0सी0 751</u> पर निर्भरता व्यक्त की है। 15— उभयपक्ष द्वारा विस्तापूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों का गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। 16— उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के आलोक में केस डायरी का परिशीलन किया गया। केस डायरी का परिशीलन करने पर प्रकट होता है कि आवेदिका/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना कटारा हिल्स में अपराध क्र0 133/2026 अंतर्गत धारा 80(2), 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दिनांक 15-05-2026 को पंजीबद्ध हुआ है, जिसके संबंध में अन्वेषण सी0बी0आई0 को सौंपे जाने के बाद पुनः पंजीकृत नंबर RC-4(S)/2026/CBI/SC-III/ND होकर अभी अन्वेषण जारी है, जिसमें दिनांक 28-05-2026 को आवेदिका/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, तभी से आवेदिका/अभियुक्त अभिरक्षा में है। 17— केस डायरी का परिशीलन करने पर यह भी दर्शित होता है कि आवेदिका/अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग है कि वह मृतिका की सास है। मृतिका श्रीमती दिवशा शर्मा का विवाह आवेदिका/अभियुक्त के पुत्र के साथ दिनांक 09-12-2025 को	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	हिन्दू रीतिरिवाज से हुआ था। शादी के समय आवेदिका/अभियुक्त की मांग करने पर 2,00,000/- रु० दिये गये थे। दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी, जिसके कारण मृतिका ने अपनी ससुराल के निवास स्थान में दिनांक 12-05-2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतिका नवविवाहिता थी। उसकी अस्वाभाविक परिस्थितियों में विवाह के 07 वर्ष के अंदर मृत्यु हुई है। धारा 80(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध है, जो गंभीर प्रकृति का है। आरोपित अपराध महिलाओं के प्रति गंभीर किस्म का अपराध है, जिसमें आवेदिका/अभियुक्त की संलिप्तता दर्शित करने के लिए केस डायरी में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। उभयपक्ष के द्वारा तथ्यों के संबंध में किए गए परस्पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप साक्ष्य की विषयवस्तु है, जो अभी अन्वेषणाधीन है। 18- केस डायरी के अनुसार यह भी दर्शित है कि आवेदिका/अभियुक्त घटनास्थल वाले शहर भोपाल में ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रही होकर सेवानिवृत्त हुई हैं एवं घटना के समय अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता आयोग, भोपाल के पद पर कार्यरत थी। केस डायरी के साथ संलग्न व्हाट्सएप चैट, सी0डी0आर0 एवं मृतिका के परिजनों के पुलिस कथन आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आक्षेपकर्ता एवं अन्वेषण एजेंसी के द्वारा व्यक्त की गई यह संभावना कि आवेदिका/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में साक्ष्य प्रभावित हो सकती है, निर्मूल होना नहीं माना जा सकता। इसलिए आवेदिका/अभियुक्त का महिला होना और उसकी मां का 100 वर्ष की वृद्ध महिला होना तथा पूजा-पाठ कराना आदि जमानत के लिए कोई आधार नहीं हो सकते हैं। न्यायिक अभिरक्षा में रहते स्वास्थ्य खराब होने की दशा में जेल नियमावली के	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/2338/2026
Filing No.	BA/28743/2026
CNR No.	MP0401-034569-2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अनुसार इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका/अभियुक्त को ऐसी कोई गंभीर बीमारी होना दर्शित नहीं है, जो जमानत का आधार हो सके। आक्षेपित तथ्यों के संबंध में अभी अन्वेषण जारी है। केस डायरी में मौजूद सामग्री से आवेदक अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता दर्शित है। आरोपित अपराध महिलाओं के प्रति गंभीर किस्म का अपराध है, जो आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। आवेदिका/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में साक्ष्य के प्रभावित होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा किए गए तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों को उन्हें कोई अवलम्ब प्राप्त नहीं होता। 19— अतः अपराध के स्वरूप एवं उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत इस न्यायालय के मत में आवेदिका/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना समीचीन नहीं है। फलतः आवेदिका/अभियुक्त गिरिबाला सिंह की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया जाता है। 20— आदेश की प्रतिलिपि रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न की जावे तथा आदेश की प्रतिलिपि के साथ केसडायरी सी0बी0आई0 को वापस भेजी जावे। आदेश की निःशुल्क प्रति आवेदिका/अभियुक्त को प्रदान की जावे। जमानत आवेदन का परिणाम सी0आई0एस0 में अंकित कर अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो। (राम प्रताप मिश्र) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल.	